

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक : लेखा-18/विविध/भौतिक सत्या./ दिनांक :

संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
जोन-कोटा।

विषय:-भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना भिजवाने बाबत।  
संदर्भ:-राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी के बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक 276 दिनांक  
06.05.2024 के क्रम में।

संलग्न सूची के अनुसार आपके संभाग के अधीन निरीक्षण विभाग द्वारा सम्पादित भौतिक सत्यापनों के कुल 55 प्रतिवेदनों के 204 आक्षेप बकाया है। खेदजनक है कि 21 प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि प्रथम अनुपालना 01 माह की अवधि में प्रेषित की जानी होती है।

कृपया प्रकरण का व्यक्तिशः पर्यवेक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि दिनांक 21.05.2024 तक समस्त लम्बित प्रथम अनुपालना इस कार्यालय को सूचित करते हुए निरीक्षण विभाग को प्रेषित कर दी जावें।

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी द्वारा समस्त लम्बित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना भी तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार दिनांक 21.05.2024 तक समस्त बकाया प्रतिवेदनों की अनुपालना भी निरीक्षण विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जावेगा।

*Sop*

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-18/विविध/भौतिक सत्या./570

दिनांक : 17/5/24

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, .....

2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....

3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

4. रक्षित पत्रावली।

*An*

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
बकाया भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन/अनुच्छेदों की स्थिति

कोटा जोन

क.सं.	जिले का नाम	बकाया प्रतिवेदन	प्रथम अनुपालना अप्राप्त	बकाया अनुच्छेद
1	कोटा	20	5	104
2	बूंदी	22	12	57
3	बासं	4	0	7
4	झालावाड	9	4	36
	योग	55	21	204